

12
16/3/18

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 हेतु जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर स्थित समस्त कैन्टीन, पान, फल, चरवन व स्टेशनरी की दुकान फोटोस्टेट की दुकान एवं वाहन स्टैंड की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 24.03.2018 को 02:00 बजे दिन में परिसर स्थित सभागार में की जायेगी।

नीलामी योग्य दुकानों आदि का विवरण, उनके लिए न्यूनतम बोली की धनराशि एवं धरोहर की धनराशि निम्नवत निर्धारित की गयी है:-

क्र०सं०	दुकान/प्रतिष्ठान	न्यूनतम बोली की धनराशि	धरोहर / प्रतिभूति की धनराशि
1	कैन्टीन नं०-1	1,59,720-00	39,930-00
2	कैन्टीन नं०-2	1,61,700-00	36,750-00
3	कैन्टीन न्याय भवन	1,77,210-00	44,300-00
4	पान शान नं०-1	55,550-00	13,890-00
5	पान शान नं०-2	40,329-00	10,080-00
6	पान शान नं०-3	50,571-00	12,640-00
7	पान शान नं०-4	19,250-00	4,810-00
8	पान शान नं०-5	28,600-00	7,150-00
9	पान शान नं०-6	31,920-00	7,980-00
10	पान शान नं०-7	50,144-00	12,540-00
11	फोटोस्टेट शाप नया भवन	1,87,671-00	46,920-00
12	चरवन शाप नया भवन	28,600-00	7,150-00
13	चरवन शाप दक्षिणी	30,800-00	7,700-00
14	फल शाप नया भवन	45,100-00	11,275-00
15	फल शाप उत्तरी	19,800-00	4,950-00
16	स्टेशनरी शाप नया भवन	13,200-00	3,300-00
17	स्टेशनरी शाप उत्तरी	10,516-00	2,630-00
18	स्टेशनरी शाप दक्षिणी	13,200-00	3,300-00
19	गुमटी टाफी बिस्कुट	9,350-00	2,330-00
20	वाहन स्टैंड डी०एम० आवास गेट	8,92,100-00	2,23,025-00
21	वाहन स्टैंड न्याय भवन	1,40,800-00	35,200-00

उक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों / ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्यतः करना होगा।

1. बोलीदाता/ प्रतिभागी के विरुद्ध विगत किसी वर्ष के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए।
2. बोलीदाता/ प्रतिभागी को दिनांक 22.03.2018 की सांय 5.00 बजे तक उपर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि बतौर प्रतिभूति/ धरोहर नकद रोकड़ के रूप में नजारात अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।

3. बोलीदाता/ प्रतिभागी को धरोहर/ प्रतिभूति की धनराशि के साथ दिनांक 22.03.2018 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास/आधार कार्ड, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही प्रतिभागी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है, उसे किसी न्यायालय द्वारा

दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाना में पंजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है।

4. प्रत्येक दुकान के सम्बन्ध में अन्तिम बोली/ नीलामी की धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 4 सामान भागों में प्रत्येक त्रैमास में देय तिथि यानि 01.04.2018, 01.07.2018, 01.10.2018 एवं 01.01.2019 से एक सप्ताह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।

5. अन्तिम बोली/ नीलामी के प्रथम भाग में धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि समायोजित कर ली जायेगी, किन्तु प्रथम भाग के सापेक्ष धरोहर की धनराशि कम होने की दशा में प्रतिभागी को अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अन्तिम बोलीदाता/ प्रतिभागी सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि स्वेच्छया एक मुश्त जमा कर सकता है किन्तु उपर क्रमांक-3 पर अंकित शर्तों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

7. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित बिडर/ ठेकेदार को निम्नांकित शर्तों को पालन करना अनिवार्य होगा:-

1. ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टैम्प पर एक अनुबंधपत्र लिखना होगा।
2. किसी ठेकेदार को नीलामी में स्वीकृत दुकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
3. दुकानदार को विक्रय योग्य प्रत्येक सामान की मूल्यसूची दुकान पर प्रदर्शित करना होगा और जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सामान का विक्रय करना होगा।
4. दुकान का संचालन अस्थाई निर्माण पर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेकेदार को अपने व्यय पर दुकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दुकान हटाने में होने वाले व्यय की वसूली दुकानदार से की जायेगी।
5. दुकानदार को बिजली एवं पानी की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी तथा दुकान के चारों ओर सफाई व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी।
6. सम्बन्धित दुकान के सम्बन्ध में राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय का देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान दुकानदार को स्वयं करना होगा।
7. दुकान पर उपलब्ध सामग्री स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त होनी चाहिये।
8. दुकानदार को दुकान की जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा।
9. सम्बन्धित दुकान का निरीक्षण जनपद न्यायाधीश, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

8. उपर्युक्त क्रमांक-4 में दशायी गई अवधि में देय धनराशि जमा न किये जाने की दशा में सम्बन्धित दुकान बन्द करा दी जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही नियमानुसार बकाया राजस्व के रूप में की जायेगी।

9. उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी दुकान/ ठेके की अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा संशोधित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, जौनपुर को होगा एवं इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, जौनपुर को होगा।


अध्यक्ष,

नीलामी समिति/ अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश, ई0 सी0 एक्ट, जौनपुर।

जौनपुर जजशिप:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को बतौर न्यूज आइटम निःशुल्क प्रकाशित करायें।
2. एन.आई.सी. की वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
3. नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय, जौनपुर।
4. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय, जौनपुर।
5. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद, जौनपुर।
6. नोटिस बोर्ड, जिला चिकित्सालय, जौनपुर।
7. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, जौनपुर।
8. नोटिस बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
9. नोटिस बोर्ड रेलवे स्टेशन, जौनपुर।
10. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, जौनपुर।

 22/05/18
अध्यक्ष

नीलामी समिति / अपर जिला जज,
विशेष न्यायाधीश, ई0 सी0 एक्ट, जौनपुर।